न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–360 / 2026

उचकागांव थाना काण्ड संख्या–290 / 2024 से उत्पन्न

आवेदक का नाम	:–रितेश राम पुत्र बलिराम राम, साकिन–ग्राम–मथौली खास, थाना–उचकागांव, जिला–गोपालगंज।
प्राथमिकी अन्तर्गत धारा	:–137(2), 96, 352, 3(5) बी.एन.एस.
आरोप–पत्र	:–Not Submitted
आवेदक की ओर से	:–श्री जितेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
बिहार सरकार की ओर से	:–श्री देव वंश गिरी।

11.03.2026	आदेश	मंतव्य
	यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्त रितेश राम उचकागांव थाना काण्ड संख्या–290/2024, अन्तर्गत धारा–137(2), 96, 352, 3(5) बी.एन.एस. के संदर्भ में दाखिल किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना गया। अभिलेख पर मूल अभिलेख व काण्ड दैनिकी उपलब्ध है। अभियोजन के मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि सूचिका सुमन देवी के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध उचकागांव थाना काण्ड संख्या–290/2024, अन्तर्गत धारा–137(2), 96, 352, 3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। सूचिका ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया है कि दिनांक 02.09.2024 को समय करीब 01:00 बजे उसकी पुत्री अनुराधा कुमारी उम्र 17 वर्ष कंप्यूटर सीखने गई थी और जब वह क्लास खत्म होने के बाद लौट रही थी, तो आवेदक / अभियुक्त गांव के पोखरा के पास अपनी डिस्कवर मोटरसाइकिल पर उसे बैठा कर लेकर भाग गया। आगे कहा कि आवेदक / अभियुक्त के साथ शन्यु साह भी था। अनुराधा कुमारी चिल्ला रही थी, लेकिन आवेदक गांव के जमसड़ की ओर भाग गया। गांव वालों ने उन्हें देख लिया। उसके बाद सूचक आवेक के घर गई आर आवेदक के माता–पिता से इस मामले की शिकायत की, जिस पर उन्होंने सूचक को गालियां दी। तद्नुसार प्राथमिकी पंजीकृत की गयी। आवेदक / अभियुक्त की ओर से इस आशय का अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है। आगे कथन किया है कि अनुराधा कुमारी और आवेदक के बीच दास्ती थी, लेकिन सूचिका उनकी दोस्ती के खिलाफ थी, इसलिए उसने आवेदक को फंसाने के इरादे से यह झूठा केस दर्ज करवाया है। आगे कथन किया है कि आवेदक और अनुराध कुमारी ने रजिस्ट्रार के सामने शादी कर लिये है और दोनों पति–पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं और अपना वैवाहिक जीवन संतोषजनक ढंग से व्यतीत कर रहे हैं। आवेदक / अभियुक्त न्यायालय के सभी शर्तों को पालन करने के लिए तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।	

लगातार **11.03.2026**	विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना तथा अभिलेख एवं केस डायरी का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध प्राथमिकी से दर्शित होता है कि सूचिका ने आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध सूचिका की लड़की को जबर्दस्ती शादी करने के नियत से भगा ले जाने का अभियोग लगाया है। यद्यपि वाद दैनिकी के पैरा–02, 06 व 07 में सूचिका व साक्षियों ने प्राथमिकी के कथनों को दोहराया है, जबकि अभिलेख के साथ संलग्न अपहृता बी.एन.एस.एस. की धारा–183 के अन्तर्गत दिये गये बयान में कथन किया है प्राथमिकी अभियुक्त रितेश राम से प्रेम प्रसंग था और उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है और वह अपना सुखी वैवाहिक जीवन बीता रही है। इस आशय का एक आवेदन भी दाखिल किया गया है। इससे स्वतः दर्शित होता है कि अपहृता को किसी ने अपहरण नहीं किया था। इस स्तर पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कथित अभियोग में संलिप्तता प्रत्यक्ष नहीं प्रतीत होती है। अपहृता ने अपने बयान में भी आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई अभिकथन नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। काण्ड में अनुसंधान जारी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त रितेश राम को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इन परिस्थितियों में धारा–482 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के शर्तों के अधीन रहते हुए आवेदक/अभियुक्त को इस आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर गिरफ्तार किये जाने या आत्मसमर्पण करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर 10,000 X 2 (दस हजार का दो) प्रतिभू तथा इतनी ही धनराशि का बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है:– 1. आवेदक/अभियुक्त का एक जमानतदार स्थानीय एवं एक जमानदार नजदीकी होगें। 2. आवेदक/अभियुक्त मामले के अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे। 3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। लेखापित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज। 11.03.2026	